भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-895

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2023 को दिया गया

विद्युत बाजार का आधुनिकीकरण और पुनर्गठन

895. डॉ. मनोज राजोरिया:
श्री सुनील बाबूराव मेंढे:
डॉ. ढालसिंह बिसेन:
श्री सुमेधानन्द सरस्वती:
श्रीमती हिमाद्री सिंह:
श्री राजेश वर्मा:
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:
श्री राजेन्द्र अग्रवाल:
श्री मोहनभाई कुंडारिया:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा:
श्रीमती रंजीता कोली:
श्री कृपानाथ मल्लाह:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान वार्षिक रूप से दिल्ली सहित देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विद्युत का कितना उत्पादन किया गया है;

(ख) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के समन्वय को और अधिक कुशलता पूर्वक समायोजित करने के लिए विद्युत बाजार पुनर्गठन में कार्यान्वित प्रौद्योगिकीय प्रगति और नवाचारों संबंधी निरीक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश के विद्युत बाजार के आधुनिकीकरण और पुनर्गठन के लिए विशेषकर विद्युत ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के निर्बाध समन्वय को सुकर बनाने और विद्युत उत्पादन संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार विद्युत बाजार के आधुनिकीकरण और पुनर्गठन में निजी क्षेत्र की भागीदारी और निवेश को किस प्रकार प्रोत्साहित करती है; और

(ङ) सरकार द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों, विद्युत उपभोक्ताओं और विद्युत उत्पादन कंपनियों सहित विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु किए गए सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष 2023-24 (अक्तूबर, 2023 तक) के दौरान देश में दिल्ली सहित उत्पादित विद्युत की मात्रा के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं। यह देखा गया है कि वर्ष 2013-14 से 2022-23 तक ऊर्जा के संदर्भ में मांग 50.8 प्रतिशत बढ़ गई है। वर्ष 2013-14 में व्यस्ततम

मांग 136 गीगावाट से बढ़कर सितंबर, 2023 में 243 गीगावाट हो गई है। हम मांग में वृद्धि को पूरा करने में इसलिए सक्षम हुए हैं कि हमने वर्ष 2014 से 2023 के बीच 194 गीगावाट क्षमता जोड़ी है।

हमने, पूरे देश को एक ग्रिड और एक राष्ट्रीय बाजार से जोड़ते हुए, इस अवधि के दौरान 192000 सीकेटी किलोमीटर की पारेषण लाइनें भी जोड़ी हैं।

हमने नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक्सचेंज में ग्रीन डे अहेड मार्केट और ग्रीन टर्म अहेड मार्केट जैसे नए उत्पाद प्रस्तुत किए हैं।

हम विश्व की तीव्रतम नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओं में से एक हैं और हम दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए सबसे पसंदीदा स्थान के रूप में उभरे हैं। हमने हरित ऊर्जा कॉरीडोरों का निर्माण किया है और 13 नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र स्थापित किए हैं। आज हमारी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 178000 मेगावाट है और 99000 मेगावाट संस्थापित की जा रही है।

हमने विद्युत क्षेत्र को व्यवहार्य बनाया है। एटीएंडसी हानियां वर्ष 2013-14 में 22.62 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2021-22 में 16.42 प्रतिशत हो गई हैं। जेनकोज के सभी मौजूदा भुगतान अद्यतित हैं और जेनकोज की पिछली देय राशियां 1.35 लाख करोड़ से घटकर 6000 करोड़ हो गई हैं। राज्य सरकार द्वारा घोषित सब्सिडी के कारण डिस्कॉम को किया गया सब्सिडी भुगतान अद्यतित है।

एटीएंडसी हानियों को कम करने के लिए, भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. बिना मीटर वाले कनेक्शनों पर मीटर लगाने के लिए डीडीयूजीजेवाई और आईपीडीएस के अंतर्गत निधियां दी गईं और चोरी को दुष्कर बनाने के लिए हानि संभावित क्षेत्रों में कवर्ड वायर लगाए गए;
ii. ऊर्जा लेखांकन और ऊर्जा लेखा परीक्षा प्रणाली स्थापित की गई;
iii. यह सुनिश्चित करने के लिए विवेकपूर्ण मानदंड संशोधित किए गए कि यदि डिस्कॉम घाटे में चल रहे हैं तो आरईसी/पीएफसी द्वारा उनको तब तक कोई ऋण न दिया जाए, जब तक कि वे हानियों को कम करने के लिए कोई योजना न बना लें, उस पर अपनी राज्य सरकार की मंजूरी प्राप्त न कर लें और इसे भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत न कर लें; और इन चरणों का पालन करें;
iv. यह सुनिश्चित करने के लिए कि सस्ती विद्युत पहले भेजी जाए, एक मेरिट ऑर्डर डिस्पैच सिस्टम स्थापित किया गया;
v. डिस्कॉमों पर बोझ कम करने के लिए विलंब भुगतान अधिभार कम किया गया;
vi. यह सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए गए कि यदि आपूर्ति की गई विद्युत के बदले में जेनको को भुगतान नहीं किया जाता है, तो चूक करने वाले डिस्कॉमों के क्षेत्रों की विद्युत स्वचालित रूप से काट दी जाएगी;
vii. यदि डिस्कॉम हानियों को कम करने के उपाय करता है, तो जीडीपी का 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया गया;
viii. यह प्रावधान किया गया कि घाटे में चल रहे डिस्कॉमों को आरडीएसएस के अंतर्गत तब तक कोई निधियां नहीं दी जाएंगी, जब तक कि वे अपनी हानियों को कम करने के लिए उपाय नहीं करेंगे;
ix. यह सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए गए हैं कि टैरिफ अद्यतित हैं।

उपरोक्त उपायों के परिणामस्वरूप, विद्युत क्षेत्र व्यवहार्य और लाभदायक बन गया है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 07.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 895 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष 2023-24 (अक्तूबर, 2023 तक) के दौरान देश में वार्षिक रूप से उत्पादित विद्युत के दिल्ली सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	उत्पादन एमयू में					
	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (अक्तूबर, 2023 तक)
चंडीगढ़	13.51	13.33	10.16	14.19	12.61	8.73
दिल्ली	7423.68	6438.78	5730.71	5407.30	4314.50	2804.93
हरियाणा	26097.79	18050.51	15657.13	24103.15	33559.00	18342.80
हिमाचल प्रदेश	38196.48	43002.12	39633.77	38503.40	41579.93	31308.07
जम्मू एवं कश्मीर	16699.27	18537.25	17441.97	17489.83	17170.62	13209.89
लद्दाख	154.51	270.28	376.21	405.98	402.78	307.32
पंजाब	33144.86	28747.68	25606.29	31127.70	40075.40	26014.77
राजस्थान	68841.66	70291.34	70607.33	83997.41	105963.47	68911.79
उत्तर प्रदेश	128467.21	129323.42	132668.65	143159.29	163447.06	99968.15
उत्तराखंड	16100.33	17735.27	15551.31	16216.77	16369.49	11157.01
छत्तीसगढ	116659.43	119336.93	136667.58	143213.21	144839.62	95742.91
गुजरात	110557.53	124666.25	121859.71	87886.78	95017.30	80347.46
मध्य प्रदेश	129934.92	129397.90	138084.97	143037.90	152020.26	94862.33
महाराष्ट्र	151998.66	145404.00	131805.01	153065.31	158993.39	98334.71
दादरा और नगर हवेली	5.76	6.19	11.96	49.16	30.62	16.15
दमन और दीव	18.94	21.83	40.04	47.67		
गोवा	0.00	0.82	1.46	16.82	19.96	40.77
आंध्र प्रदेश	77694.33	76936.32	66882.90	74197.52	81701.42	54718.62
तेलंगाना	56802.95	51923.14	46475.88	59279.66	63044.77	39944.96
कर्नाटक	28982.63	31114.50	34587.96	37951.72	37564.56	21690.70
केरल	770.32	804.74	1092.12	1614.62	1961.28	1406.02
तमिलनाडु	17128.37	20019.68	21891.20	24312.41	27859.52	21597.02
लक्षद्वीप	83779.62	83498.68	70077.93	82020.39	89061.67	53845.69
पुद्दुचेरी	49965.61	51858.96	48412.53	57188.93	56760.51	32898.77
अंडमान निकोबार	151.16	113.49	157.99	152.01	252.45	215.43
बिहार	32658.66	35719.44	34092.75	44180.23	55489.06	34643.91
झारखंड	27003.35	26247.21	27469.53	28915.39	30797.95	20728.50
ओडिशा	47477.80	49037.17	62944.21	66473.02	71529.15	41951.26
सिक्किम	9050.18	11087.98	10935.46	11506.25	11709.14	8318.54
पश्चिम बंगाल	78438.25	75786.81	77478.05	88251.70	92995.30	55283.17
अरुणाचल प्रदेश	1400.77	1788.70	3453.44	4163.41	4845.79	3329.00
असम	7245.71	8089.14	6020.52	8398.89	9153.69	5760.77
मणिपुर	604.49	370.79	629.33	462.20	486.77	189.34
मेघालय	980.04	1081.02	1208.78	886.50	1052.41	669.25
मिजोरम	208.52	227.02	192.37	165.53	266.40	123.35
नागालैंड	318.93	256.72	273.63	164.02	289.32	205.18
त्रिपुरा	6712.93	6121.04	7058.83	6339.87	7086.06	3897.81
भूटान (आयात)	4406.62	5794.48	8765.50	7493.20	6742.40	4644.00
अखिल भारत कुल जोड़	**1376095.79**	**1389120.93**	**1381855.15**	**1491859.37**	**1624465.61**	**1047439.04**

****